

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION No. 837/2024**

Vinesh Devi & Others

... Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others

... Respondents

**INDEX**

S.No	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Reply along with affidavit on behalf of the District Magistrate, Aligarh	1 - 6
2.	A true Copy of the Joint Committee Report submitted to this Hon'ble Tribunal is annexed here as <b>ANNEXURE 1.</b>	7 - 9
3.	A true copy of the records is annexed here as <b>ANNEXURE 02.</b>	10 - 28
4.	A true copy of the letter dated 11-12-2023 is annexed here as <b>ANNEXURE 3</b>	29 - 30
5	A true copy of the high court order is annexed here as <b>ANNEXURE 4</b>	31 - 32
6.	A copy of the letter dated 30 September 2023, along with consent, and photocopy of the affidavit is annexed here as <b>ANNEXURE 5.</b>	33 - 35
7.	A true copy of the geotagged photograph taken at the time of inspection is also annexed here as <b>ANNEXURE 6.</b>	36 - 37

THROUGH

*Priyanka*  
PRIYANKA SWAMI  
ADVOCATE

DATE:12.10.2024

COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

F- 13, G.F. JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI 110014

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION No. 837/2024**

Vinesh Devi & Others

... Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others

... Respondents

**Reply along with affidavit on behalf of the District Magistrate, Aligarh**

Most respectfully Showeth:

1. That it is respectfully submitted that pursuant to the order dated 02.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, a field inspection was carried out in relation to the matter in question. The report was submitted by the Joint Committee which is already on record. A true Copy of the Joint Committee Report submitted to this Hon'ble Tribunal is annexed here as **ANNEXURE 1**.
2. That it is further submitted that, the disputed land identified as Gata No. 97, 98, 207, 210, 211, and 212, situated in Village Kukdikheda alias Aurangabad, as well as Gata Nos. 213 and 214 (comprising a total of eight Gatas with a combined area of 4.689 hectares), are duly recorded in the revenue records (Khatauni) for the current crop years 1429-1434. These disputed land fall under the jurisdiction of Category-1(a), and the transferable ownership is registered in the name of Tikaram Charitable Family Trust, Aligarh, and Ahtamam Ramswaroop Gupta, son of Lala Tikaram, a resident of Aligarh. Additionally, Gata No. 298 in Village Dhanipur, with a total area of 2.929 hectares, is also recorded in the revenue records for the current crop years 1430-1435 under Category-1(a) as transferable land, registered in the name of Tikaram Charitable Trust, with its manager being Dr. Mrs. Vijay Gupta/Vedprakash Gupta, residents of Tikaram Mandir Marg, Aligarh. Furthermore, it is submitted that a portion of the disputed land, specifically Gata Nos. 210, 211, 212, 213, and 214 of Village Kukdikheda alias Aurangabad, along with Gata No. 298 of

Village Dhanipur, has been recorded as submerged/low-lying area land/pond in the revenue records (Khasra) for several years. Prior to the draining of water from the said land, it was completely submerged as its a low-lying area. For ease of reference, photocopies of the Khasra records for the years 1417 Fasli, 1418 Fasli, 1420 Fasli, 1421 Fasli, 1422 Fasli, 1423 Fasli, 1424 Fasli, and 1427 Fasli are collectively. A true copy of the revenue records is annexed here as **ANNEXURE 02**.

3. That in order to protect the existing condition of the land, the Commissioner of Aligarh Division, Aligarh, issued a directive through Letter No. 162/PA dated 11 December 2023, upon receiving information from various sources that clandestine work was being carried out at the site, including the installation of tin fencing. Consequently, the District Magistrate, Aligarh, was directed to immediately halt any such activities at the site and ensure the removal of the tin fencing. Challenging the aforementioned order, Tikaram Charitable Trust filed Writ Petition No. 44949/2023, Tikaram Charitable Trust vs. State of Uttar Pradesh & Others, before the Hon'ble High Court of Allahabad against the dated 11 December 2023. The Hon'ble High Court, in its order dated 29 February 2024, set aside the Commissioner's directive dated 11 December 2023. Copies of the Commissioner's letter dated 11 December 2023 and the Hon'ble High Court's order dated 29 February 2024. A true copy of the order is annexed here as **Annexures 3 and 4, respectively**.
4. That in compliance with the order passed by this Hon'ble Tribunal on 02 September 2024 in Vinesh Devi and Others vs. Government of Uttar Pradesh and Others, a joint committee conducted a site inspection on 07 October 2024 concerning the disputed land in question. During the inspection, a representative of Tikaram Charitable Trust, Mr. Shobhit Agarwal, was present. A detailed report of the inspection is provided below.
  - In the petition filed before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, the petitioner has alleged that the pond located on the land situated near Eta Chungi Kamalpur Bypass Road is being filled with soil using JCB machines, and water is being extracted from the low-lying area continuously, both day and night, through the use of 20 generators. At the time of inspection, the land was found dry and no such pond was found. The petitioner has described the disputed land as a pond. Furthermore, it has been claimed that approximately

2,00,000 people rely on the water from the pond for drinking purposes and that the pond serves as a source of groundwater recharge. However, during the inspection, no evidence of ongoing construction, waterlogging, or the presence of any pipelines was found on the land in question.

- At the time of inspection, it was observed that a concrete drainage system had been constructed on three sides of the disputed land, and residential populations were located adjacent to the land. The drain connects to the canal/drain situated alongside Eta Chungi Kamalpur Bypass Road. Residential houses and shops were also found adjacent to this drain/canal. Additionally, a sumpwell had been installed for the disposal of water by the trust. The representative of Tikaram Trust present at the time of inspection informed that approximately 700 meters of concrete drainage and the sumpwell were constructed by the Trust on three sides of the Trust's land and has been handed over to the Municipal Corporation, Aligarh. It is also noted that, to resolve the waterlogging issue, correspondence regarding providing consent related to the expenditure incurred on the construction of the drainage and sumpwell had been made through a letter dated 30 September 2023, which was sent by the Municipal Corporation to Mr. Hari Prakash Gupta, Manager of Tikaram Charitable Trust. A copy of the letter dated 30 September 2023, along with consent, and photocopy of the affidavit is annexed here as **Annexure 5**.
- That it is further submitted that, during the inspection, no water or any type of wastewater was found on the disputed land as shown in the photographs from the spot inspection.
- During the inspection, it was observed that a kutcha (unpaved) road had been constructed on the right side of the canal/drain running alongside the disputed land on the bank of Eta Chungi Kamalpur Bypass Road, and through the middle of the disputed land.
- It was also noted that a room had been constructed to house the sumpwell motor and other related equipment. The work of fitting doors, windows, and other related fixtures was ongoing at the time

of inspection, but no encroachment has been observed on the disputed land.


5. The land in question was found to be a low-lying area, and no water was present on the land at the time of inspection, which prevented any sample collection.
6. Photographs of the disputed land, taken from Google satellite maps between the years 2010 and 2023, reveal waterlogging on the land (photocopy of the map is enclosed). A geotagged photograph taken at the time of inspection is also annexed here as **ANNEXURE 6**.
7. That in light of the above, it is humbly submitted that there has been no violation of any environmental regulations or orders of this Hon'ble Tribunal by the Respondent. The District Magistrate, Aligarh, was directed to be the nodal and is committed to ensuring compliance with all statutory requirements and will continue to monitor the situation to prevent any further issues.

**PRAYER**

In view of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

1. Dismiss the application filed by the Applicants as being devoid of merits.
2. Pass such other orders as may be deemed appropriate in the interest of justice and equity.

THROUGH

  
PRIYANKA SWAMI  
ADVOCATE  
COUNSEL FOR THE STATE OF  
U.P.

DATE:12.10.2024

F- 13, G.F. JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI 110014

<sup>14</sup>  
**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION No. 837/2024**

Vinesh Devi & Others

... Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others

... Respondents

**AFFIDAVIT**

Affidavit of Sh. VISHAK GANAPATHY IYER aged about 37 years s/o S.V. GANAPATHY IYER presently posted as DISTRICT MAGISTRATE, ALIGARH, having an office at Collectorate Aligarh, Uttar Pradesh.

135/12/10  
۶۲ ۵۳۲۱

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying reply are true and correct, the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

Solemnly Affirmed Before me  
By.....  
Identified By.....  
Who having been heard the contents  
hereon Admitted the same to be  
correct.

R.P. Dixit (Advocate)  
NOTARY, Tehsil Koil (ALIGARH)

DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at Aligarh on this ....12.... day of October, 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



*[Signature]*  
DEPONENT

Solemnly affirmed before me  
By *[Signature]*  
Identified by *[Signature]*  
Who having read the contents  
Hereon Admitted the same to be  
correct.

*[Signature]*  
Ram Prakash Dixit (Advocate)  
NOTARY, Tehsil Koli (ALIGARH)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-837/2024 विनेश देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2024 के सम्बन्ध में संयुक्त समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या।

कृपया जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 13.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 837/2024 विनेश देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पत्र 02.09.2024 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त जांच कर एवं तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को मौके का स्थलीय निरीक्षण एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में की गयी कार्यवाही का अभिलेखीय परीक्षण किया गया तो तथ्य संज्ञान में आये कि:-

ग्राम कुकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद में स्थित भूमि गाटा संख्या 97, 98, 207, 210, 211, 212, 213 एवं 214 (08 गाटे, कुल क्षेत्रफल 4.689 है0) राजस्व अभिलेख खतौनी में वर्तमान फसली वर्ष 1429-1434 में श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार क्षेत्र में टीकाराम चैरीटेबिल फैमिली ट्रस्ट अलीगढ व अहतमाम रामस्वरूप गुप्ता पुत्र लाला टीकाराम नि0 अलीगढ के नाम अंकित है एवं ग्राम धनीपुर में गाटा संख्या 298मि0 (कुल क्षेत्रफल 2.929 है0) राजस्व अभिलेखों में वर्तमान फसली वर्ष 1430-1435 में श्रेणी-1(क) संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार क्षेत्र में टीकाराम चैरीटेबिल ट्रस्ट मैनेजर डॉ0 श्रीमती विजय गुप्ता/वेदप्रकाश गुप्ता नि0 टीकाराम मन्दिर मार्ग, अलीगढ के नाम अंकित है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उपरोक्त खतौनियों **संलग्नक संख्या 01** के रूप में संलग्न है।

यह कि उक्त विवादित प्रश्नगत भूमि में से ग्राम कुकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद के गाटा संख्या 210, 211, 212, 213 एवं 214 तथा ग्राम धनीपुर का गाटा संख्या 298मि0 राजस्व अभिलेख (खसरे) में विगत वर्षों से जलमग्न भूमि/पोखर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित जल को निकास करने से पूर्व यह भूमि पूर्णतः जलमग्न थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु उद्धरण खसरे 1417 फसली, 1418 फसली, 1420 फसली, 1421 फसली, 1422 फसली, 1423 फसली, 1424 फसली व 1427 फसली की छायाप्रतियाँ संयुक्त रूप से **संलग्नक संख्या 02** के रूप में संलग्न है।

उल्लेखनीय है चूँकि प्रश्नगत भूमि विगत वर्षों से जलमग्न/पोखर के रूप में रही है। इसलिए अस्तित्व को बचाने हेतु आयुक्त महोदय, अलीगढ मण्डल, अलीगढ पत्र संख्या 162/पी0ए0 दिनांक 11 दिसम्बर 2023 द्वारा स्थल पर टिन से घेरकर अन्दर चोरी छुपे कार्य कराये जाने की विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होने के पर जिलाधिकारी अलीगढ को स्थल पर तत्काल कार्य रूकवाये जाने एवं स्थल पर लगाये गये टिन का हटवाने जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध टीकाराम चैरीटेबिल ट्रस्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका 44949/2023 टीकाराम चैरीटेबिल ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 में आयुक्त महोदय का पत्र दिनांक 11.12.2023 खंडित कर दिया गया। सुलभ सन्दर्भ हेतु आयुक्त महोदय पत्र दिनांक 11.12.2023 व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पारित आदेश 29.02.2024 की छायाप्रति **संलग्नक 3 व 4** के रूप में संलग्न है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 837/2024 विनेश देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य दिनांक 02.09.2024 में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त के क्रम में प्रश्नगत विवादित भूमि के मौके पर संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया जहाँ निरीक्षण के समय टीकाराम चैरीटेबिल ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्री शोभित अग्रवाल उपस्थित रहे। जिसकी विस्तृत आख्या निम्नवत् है-


1. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि एटा चुंगी कमालपुर बाईपास मार्ग पर स्थित भूमि पर तालाब को पाटकर जे0सी0बी0 से मिट्टी डालना एवं 20 जनरेटर लगाकर दिन-रात तालाब से पानी निकालने का कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त विवादित भूमि को तालाब बताया गया है







एवं उस तालाब से 2,00,000 लोग तालाब के पानी का प्रयोग पीने के रूप में किये जाने का उल्लेख किया गया है। तालाब के पानी से ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज का कार्य होता है, का भी उल्लेख किया गया है। निरीक्षण के समय उक्त प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य, जल भराव अथवा ऐसी कोई पाइप लाइन मौके पर नहीं पायी गयी जिससे प्रतीत होता हो कि भूमि पर पूर्व में उस जल भूमि से दो लाख परिवारों को पानी का प्रयोग पीने के लिए किया जाता रहा है।

2. निरीक्षण के समय प्रश्नगत भूमि के तीन तरफ पक्का नाला निर्मित एवं आबादी उक्त विवादित भूमि से सटी हुई पायी गयी। उक्त नाला एटा चुंगी कमालपुर बाईपास रोड के किनारे केनाल/नाला से जुड़ा हुआ है। उक्त नाला/केनाल से सटे हुए एटा चुंगी कमालपुर बाईपास रोड तत्पश्चात् सटे हुए आवासीय मकान/दुकान स्थित पाये गये। निरीक्षण के समय एक नग सम्पवेल पानी के निस्तारण हेतु स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय टीकाराम ट्रस्ट के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रस्ट की भूमि के तीन तरफ लगभग 700 मीटर पक्का नाला एवं सम्पवेल का निर्माण ट्रस्ट द्वारा कराया गया है, जिसको नगर निगम, अलीगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया। अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि पर नाला व सम्पवेल निर्माण से जलभराव की समस्या के निराकरण एवं निर्माण पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में सहमति दिये जाने हेतु नगर निगम द्वारा टीकाराम चेरीटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक हरी प्रकाश गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता नि० कोठी टीकाराम मंदिर मार्ग, अलीगढ़ के पत्र 30-09-2023 प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र दिनांक 30.09.2023 व सहमति शपथपत्र की छायाप्रति संलग्नक 5 के रूप में संलग्न है।
3. निरीक्षण के समय उक्त विवादित भूमि पर पानी या किसी प्रकार का वेस्ट वाटर भरा हुआ नहीं पाया गया।
4. निरीक्षण के समय विवादित भूमि पर एटा चुंगी कमालपुर बाईपास के किनारे स्थित नहर/नाले के दायी तरफ एवं विवादित भूमि के बीच में कच्चा मार्ग निर्मित पाया गया।
5. निरीक्षण के समय सम्पवेल के मोटर एवं सम्पवेल से सम्बन्धित अन्य उपकरणों को रखने हेतु एक कमरा निर्मित पाया गया, जिसमें दरवाजा-खिडकी आदि की फिटिंग का कार्य किया जा रहा था।
6. निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त प्रश्नगत भूमि जो लो-लैण्ड के स्वरूप में है। उक्त भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का पानी का भराव न होने के कारण नमूना एकत्रण का कार्य नहीं किया जा सका।
7. उक्त विवादित भूमि का गूगल सैटेलाइट मैप से लिये गये फोटोग्राफ वर्ष 2010 से 2023 तक उक्त भूमि पर जल भराव प्रदर्शित हो रहा है (छायाप्रति संलग्न है)।
8. निरीक्षण के समय उक्त विवादित भूमि का लिये गये जियो कॉर्डिनेट फोटोग्राफ संलग्न है—



*Handwritten signature/initials*  
Aga

*Handwritten signature/initials*  
S. K. Koul



आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*[Signature]*  
 सहायक पर्यावरण अभियंता (द्वितीय)  
 उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
 अलीगढ़।

*[Signature]*  
 उप जिलाधिकारी,  
 तहसील-कोल,  
 अलीगढ़।

उद्धारण खतीनी (शासकीय)

उद्धारण क्रमांक : 2177922024029

ग्राम क्रमांक : 217792 ग्राम का नाम / परगना : कुकडी खेडा उर्फ औरंगाबाद(कोल) फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1

तहसील : कोल

जनपद : अलीगढ़

खाता खतीनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौतिक आधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : L-क / भूमि जो संकमणीय भूमिधरोकेअधिकार में हो।

00023	टीकाराम डैरीटैबिल फैमिली / ए. / दस्ट अलीगढ़ व अहममाम / ए. / रामसरूप गुप्ता / लाला टीकाराम / नि०अलीगढ़	पू०1360फ०0 पू०1360फ०0 1364फ 1364फ 1364फ 1364फ 1375फ 1375फ	97 98 207 210 211 214 212 213	0.4950 0.1610 0.7720 0.8980 0.8180 0.4960 0.5300 0.5190	₹ 11435	0	0
-------	---	--	--	--	---------	---	---

कुल गाटे. आठ कुल क्षेत्रफल. चार दशमलव छः आठ नौ सून्य (द्विदशपर) कुल भू-राजस्व - एक एक चार दशमलव तीन पाँच रुपये



सक्षम अधिकारी: AMIT KUMAR GUPTA तहसील: कोल जनपद: अलीगढ़

दिनांक एवं समय: 25-02-2024 12:37.18

यह उद्धारण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धारण खतीनी का वेरीफिकेशन <http://upbhuclch.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

Data Digitally Signed by: SATISH CHANDRA

### उद्हरण खतौनी (शासकीय)

उद्हरण क्रमांक : 12271820240270

भाग : 1

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

तहसील : कोल जनपद : अलीगढ़

ग्राम का नाम / परगना : धनीपुर(कोल)

पत्रांक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)

खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लागान

परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद

दिपणी

पत्रांक : 122718	ग्राम का नाम / परगना : धनीपुर(कोल)	तहसील : कोल	जनपद : अलीगढ़	फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)	भाग : 1		
ला	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लागान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	दिपणी
तौनी		3	4	5	6	7-12	13
म संख्या							

1: 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

167	टीकाराम बैसदेवितकभिलीट्टर / ./. द्वारा मेने0डा0श्रीमतीविजयगुप्ता / वेदप्रकाश गुप्ता / विजय निकु न्जटीकाराम मन्दिर मार्ग अलीगढ़	1396फ0	298मि0	2.1690			0
20			1	2.1690	₹ 53.65		0

गाटे एक कुल क्षेत्रफल- दो दशमलव एक छः नौ शून्य (हैक्टियर) कुल भू-राजस्व - पाँच तीन दशमलव छः पाँच रुपये

1th Digitally Signed by: RAJEEV KUMAR GUPTA



सदस्य अधिकारी: AMIT KUMAR GUPTA  
तहसील: कोल जनपद: अलीगढ़  
दिनांक एवं समय: 28-02-2024 09:43:33  
0 यह उद्हरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

परोक्ष उद्हरण खतौनी का वैरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।





कमला वर - 1420

१५८११

ग्राफ - कुकीरवा, नरसिंग - कोम, सिमा - जलगाट  
 १६ औं गावट

(१९)

सरा काम क्र. प्र. पक-३ (कसली-१४ २२)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
209	१-३५४	१-६७५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
210	०-४९६	२५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
211	०-४९६	२५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
212	०-५३०	२५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
213	०-५१९	२५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
214	०-५९६	२५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
215	०-५३८	९५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	
216	०-२५३	६५	श्रीमती. जलगाट, जलगाट नरसिंग, नरसिंग, सिमा जलगाट, नरसिंग, सिमा	X													श्रीमती जलगाट ०-६१५	०-६१५	X	

फरवरी वर्ष - 1421

खसरा

ग्राम - कुकरी रोड एफ आरगावरा, देहीम-डीम, f

खसरा फार्म 30 मा पक-3 (कसली-14 21.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
209	1-348	9 0-674	नालापूरानागा 2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-674	X	X
		53 0-674	रंजनासिंह माली बंधू, देवराजराव, मंगलचंद्र देवराजराव, निजाम साहू, निजामसिंह, हरिचारा देवराजराव, लोकेश, राजकुमार	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-674	X	X
210	0-898	25	निजामराव चरितानिल चरिका दरद अदरसाय शकद- नाय युवा	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-898	X	X
211	0-818	25	निजामराव चरिका चरिका दरद अदरसाय चानरसाय युवा	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-818	X	X
212	0-530	25	निजामराव चरिका चरिका दरद अदरसाय चानरसाय युवा	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-530	X	X
213	0-579	25	निजामराव चरिका चरिका दरद अदरसाय चानरसाय युवा	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-579	X	X
214	0-496	25	निजामराव चरिका चरिका दरद अदरसाय चानरसाय युवा	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-496	X	X
215	0-138	45	राजेश	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-138	X	X
216	0-253	45	राजेश	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	आशुपूर 200	0-253	X	X











रा फार्म 30 प्रो फक-3 (फसली-14 (F))

रक्षक  
M.H.M. धर्ष-1417, ग्राम. धनीपुर, तह. कोल, अलीपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224	0.032	295	X	X													गएर	0.032	X
225	0.324	993	श्रीकृष्ण	X													गएर	0.324	X
226	0.223	87	श्रीकृष्ण	X													गएर	0.223	X
30	.	209	X	X													गएर	0.209	X
227	0.252	212	X	X													गएर	0.252	X
228	0.225	0.650	श्रीकृष्ण	X													गएर	0.225	X
229	0.552	201	श्रीकृष्ण	X													गएर	0.552	X
301	0.569	202	श्रीकृष्ण	X													गएर	0.569	X

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

220

0242

298

2929

59  
0760

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

220

0242

60  
2169

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

299

0995

202

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

220

0242

300/1

1971

208

3060 अर्थ विभाग

220

0242

300/2

0163

51

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

220

0242

31

301

0023

225

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

220

0242

302

2676

199

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

220

0242

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

अध्याय 1418, अर्थ विभाग

अध्याय 1418, अर्थ विभाग





297 0.242 290

राजगाड

X

रवसरी  
 फसली वर्ष - 1422, ग्राम - धनगिरी  
 गुरदासगंज जिला, अलीगढ़

प्राप्तांक 0242

X

298 2.929 61  
 0.760

श्रीकारामचरीटविलेन  
 दूरत सैनिकर जामिनाय  
 गुका

X

प्राप्तांक 2929

X

62  
 2.169

श्रीकारामचरीटविलेन  
 दूरत सैनिकर जामिनाय  
 गुका

X

प्राप्तांक 0995

X

299 0.995 199

हरिपरावशालादुर्गापि

X

प्राप्तांक 1171

X

300 1.171 213

सुं. प्र. सरकार

X

प्राप्तांक 0163

X

34

300 0.163 56

जगदीशचरणजामे व  
 वष

X

प्राप्तांक 0023

X

301 0.023 225

चकमाया

X

प्राप्तांक 2676

X

302 2.676 197

हरिपराव जामिनाय  
 अर्धविलेन जामिनाय  
 व अर्धविलेन जामिनाय  
 व अर्धविलेन जामिनाय  
 व अर्धविलेन जामिनाय

X

प्राप्तांक 15480

X

15480

विलेन

X

प्राप्तांक 2109

X

15480

विलेन

X

प्राप्तांक 5595

X







संलग्नक १

प्रेषक,

आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल,  
अलीगढ़।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अलीगढ़।

संख्या- 162/पी०एच०

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2023

विषय: जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम कूकड़ीखेड़ा उर्फ औरगाबाद के गाटा संख्या-210, 211, 212, 213 एवं 214 तथा ग्राम धनीपुर के गाटा संख्या-298 में स्थित तालाब का पानी निकासी कर कब्जा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 221/एस0टी0 दिनांक 3 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उपर्युक्त विषय पर आख्या उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में आपका ध्यान कार्यालय जिलाधिकारी (स्थानीय निकाय अनुभाग) अलीगढ़ के पत्र संख्या- 673/एल0बी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2021 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा तालाबों एवं पोखरों पर निर्माण कार्य किये जाने पर रोक लगाई थी।


जिलाधिकारी, अलीगढ़ के उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रिट संख्या- C. No.- 11933 of 2020 Awadhesh Kumar Srivastava vs. State of UP and 2 Others में पारित आदेश दिनांक 05-08-2020 में निजी भूमि पर स्थित पोखर/तालाबों पर से भी अवैध निर्माण हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या- 10607/नियो.अनु./एडीए/2023-24 दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि में से गाटा संख्या-212, 213 एवं 214 ग्राम कूकड़ीखेड़ा व गाटा संख्या-298 ग्राम धनीपुर अलीगढ़ महानगर की वर्ष 2001-2021 की महायोजना में नाला/तालाब के उपयोग हेतु आरक्षित हैं। अलीगढ़ महानगर की वर्ष 2031 की महायोजना में भी इस भूमि का उपयोग नाला/तालाब प्रस्तावित है।

इस प्रकार उक्त भूमि में से पानी की निकासी कर, समतल किया जाना रिट संख्या- C. No.- 11933 of 2020 Awadhesh Kumar Srivastava vs. State of UP and 2 Others में पारित आदेश दिनांक 05-08-2020 एवं अलीगढ़ महानगर की वर्ष 2001-2021 का उल्लंघन है। इस संबंध में आपको उक्त स्थल पर तत्काल कार्य रोकवाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु अभी भी विभिन्न स्रोतों से कृपया तदनुसार उक्त स्थल पर किये जा रहे कार्य के जारी होने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं। यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल को टिन से घेरकर अन्दर चोरी छुपे कार्य कराया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थल पर तत्काल कार्य रोकवाने एवं स्थल पर लगाये गये टिन कवर को हटवाने सुनिश्चित करें। यदि एतदपश्चात् स्थल पर कोई कार्य कराया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रिट संख्या- PIL No. 1474 of 2019: Support

— 2 —


India Welfare Society vs. State of J.P and 7 Others में पारित आदेश दिनांक 16-09-2019 में निर्देशित किया है अगर जिलाधिकारी (वि. / रा.) अलीगढ़, इस बिन्दु को सुनिश्चित करने के लिये सतत सजग रहेंगे।

  
(रविन्द्र)  
आयुक्त ॥ १५/१०/१९  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
3. उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
4. नगर आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम, अलीगढ़।

  
(रविन्द्र)  
आयुक्त ॥ १५/१०/१९  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

Court No. - 3

अलगर-4

Case :- WRIT - C No. - 44949 of 2023

Petitioner :- Tikaram Charitable Trust

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Suresh Chandra Pandey

Counsel for Respondent :- C.S.C., Vibhanshu Vaibhav

Hon'ble Anjani Kumar Mishra, J.

Hon'ble Jayant Banerji, J.

1. The instructions received by the learned Standing Counsel are taken on record.
2. Heard counsel for the petitioner, learned Standing Counsel and the counsel appearing for respondent no.3-Nagar Nigam, Aligarh.
3. By means of this petition, the petitioner has sought quashing of letter dated 11.12.2023, passed by the Commissioner, Aligarh Division Aligarh addressed to the District Magistrate, Aligarh.
4. The aforesaid letter records that Plot nos. 212, 213, 214 of village Kukari Khera and Plot no. 298 of village Dhanipur in the year 2001-2021 have been reserved for drain and pond under the master plan. It also records that leveling of these plots is illegal and, therefore, the work being undertaken on these plots is liable to be stopped and that appropriate action is liable to be taken against the concerned. The letter also refers to an order passed by the High Court in **PIL No. 1474 of 2019 (Support India Welfare Society Vs. State of U.P. and others)**. Accordingly, the Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Aligarh has been directed to take appropriate action in the matter.
5. The contention of the counsel for the petitioner is that the aforesaid four plots belong to the petitioner's Trust and are recorded in the revenue record as Bhumidhari plots. It is also contended on the basis of relevant revenue record, Khasra of 1356F, that these plots were never recorded as pond or land submerged under water at any point of time. This entry has somehow been made in 1417 Fasli for the first time.
6. Learned Standing Counsel admits that no such entry was ever made prior to that in the Khasra 1417F, wherein the land is shown to be land of the Trust, but covered by water.

7. Merely because a plot is covered by water, the same cannot become a pond. All proceedings that have been drawn at the various levels for restoration of ponds primarily find support from the judgement of the Apex Court in **Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and others; reported in (2001) 6 SCC 496**, wherein the Apex Court expressed its view that water bodies existing in 1356F were required to be restored to their original status for ecological reasons. The ratio in **Hinch Lal Tiwari** (supra) does not apply to the instant case because in the revenue record of 1356F, as is admitted by the learned Standing Counsel, there is no entry of a pond. The first entry of the land being found covered by water is in the Khasra of 1417 Fasli.

8. Under the circumstances and since the aforesaid plots in issue are not a pond, the direction that have been issued by the letter impugned are, unsustainable. For the same reason, we consider it appropriate to allow this writ petition and to quash the letter dated 11.12.2023, passed by the Commissioner, Aligarh Division Aligarh.

9. The writ petition stands **allowed**, accordingly.

Order Date :- 29.2.2024  
sfa/

कार्यालय नगर निगम अलीगढ़।

पत्रांक सं० 467 / नि० वि० / न० नि० 0310 / 23-24


दिनांक: 30.09.23

श्री हरिप्रकाश गुप्ता  
पुत्र: स्व० वेदप्रकाश गुप्ता,  
निवासी-कोठी विजय निकुंज,  
टीकाराम मन्दिर मार्ग, तहसील-कोल,  
अलीगढ़।

कृपया आपके द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 21.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नौरंगाबाद छावनी स्थित सलेज फार्म से लगी हुई श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट की कूकड़ी खेड़ा उर्फ औरंगाबाद जी०टी० रोड की भूमि नम्बर 213, 214 आदि का स्तर नीचा होने के कारण सलेज फार्म का पानी भर जाने की समस्या के समाधान हेतु श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा सलेज फार्म से गडराना माईनर तक नाला तथा सम्पवैल निर्माण कराने के सम्बंध में सहमति पत्र दिया गया। ट्रस्टी श्री हरिप्रकाश गुप्ता ने भूमि संख्या 213, 214, 298 आदि पर प्रस्तुत प्रोजेक्ट के अनुसार नाला तथा सम्पवैल निर्माण की सहमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2009 के द्वारा अनुरोध किया गया है। नाला एवं सम्पवैल निर्माण से ट्रस्ट की भूमि पर जलभराव की समस्या का निराकरण होने के साथ ही साथ क्षेत्रीय जल निकासी की व्यवस्था सुचारु हो जायेगी। नाला एवं सम्पवैल निर्माण पर होने वाला व्यय स्वयं ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा जिसे निर्माण के पश्चात् नगर निगम अलीगढ़ को अनिवार्य रूप से सौंपने हेतु उल्लेख किया है। संलग्न डिजाईन एवं आगणन में दी गई माप के अनुसार स्थल पर कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नाला व सम्पवैल का निर्माण इस प्रकार कराया जायेगा कि संलग्न क्षेत्र की जलनिकासी सुचारु रूप से हो सके, साथ ही नाला निर्माण कराते समय नगर निगम के अभियन्त्रण विभाग को सूचित किया जायेगा ताकि समय-2 पर पर्यवेक्षण किया जा सके।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचित होने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम अलीगढ़।

पत्रांक व दिनांक देखें।

- प्रतिलिपि:-1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
3. अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
नगर निगम अलीगढ़।

भारतीय न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

100

ONE HUNDRED RUPEES




सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GL 104827



शपथपत्र

समक्ष श्रीमान नगर आयुक्त महोदय,  
नगर निगम अलीगढ़।

शपथपत्र में निम्नलिखित टीकाराम चैरिटेबिल फैमिली ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक न्यासी हरी प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता व पवन गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी गण कोठी टीकाराम मंदिर मार्ग, अलीगढ़।

शपथकर्तागण शपथपूर्वक निम्न ब्यान करते हैं कि-

- 1-यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त नाम व पते के निवासी हैं।
- 2-यह कि यह कि शपथकर्तागण कमालपुर रोड़ स्थिति खसरा नं० 211 व 214 व 212 व 213 स्थिति मौजा कूकड़ी खेड़ा उर्फ औरंगाबाद, परगना व तहसील कोल, अलीगढ़ व खसरा नं० 298मि० स्थिति मौजा धनीपुर, परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के मालिक काबिज हैं।
- 3-यह कि शपथकर्तागण को नगर निगम अलीगढ़ द्वारा प्राप्त जिसकी प्रतिलिपि शपथपत्र के साथ संलग्न है, का एस्टीमेट स्वीकार है।
- 4-यह कि जल निकासी का समस्त निर्माण कार्य नगर निगम की देखरेख में होगा।
- 5-यह कि शपथकर्तागण को प्राप्त एस्टीमेट में किसी प्रकार का कोई विरोध अथवा एतराज नहीं है। सहमति प्रगट करते हैं।

सत्यापन-शपथ पत्र के पैरा 1 लगायत अन्त तक दिया गया ब्यान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही हैं कुछ भी छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

Solemnly Affirmed कि मैंने मे  
By.....  
Identified By.....  
Who have heard the contents  
thereon Admitted the contents to be  
Correct

शपथकर्तागण

R.P. Dixit  
18/8/2023

Javed

Premkumar

R.P. Dixit (Advocate)  
NOTARY Tehsil KOL. ALIGARH

# भारतीय न्यायिक

दस  
रुपये


₹. 10

TEN  
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIAN NON JUDICIAL



प्रदेश उत्तर प्रदेश, नगर अलीगढ़, नगर निगम अलीगढ़।

72AE 323942

शपथपत्र मिनजानिव हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व० वेदप्रकाश गुप्ता निवासी कोठी विजय निकुंज टीकाराम मंदिर मार्ग तहसील कोल अलीगढ़ बहेसियत ट्रस्टी टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट अलीगढ़।

शपथकर्ता सशपथ निम्नलिखित ब्यान करता है -

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है और टीकाराम टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट अलीगढ़ का ट्रस्टी है।
2. यह कि शपथकर्ता नौरंगाबाद छावनी स्थित सलेज फार्म से लगी हुई श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट की कूकड़ी खेडा उर्फ औरंगाबाद जी०टी०रोड की भूमि नं०213,214 आदि का स्तर नीचा होने के कारण सलेज फार्म का पानी भर जाने की समस्या के समाधान हेतु श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा सलेज फार्म से गडराना माइनर तक नाला तथा सम्पवैल निर्माण कराने के सम्बन्ध में सहमति पत्र दिया गया ट्रस्टी श्री हरिप्रकाश गुप्ता भूमि संख्या 213,214,298 आदि पर प्रस्तुत प्रोजेक्ट के अनुसार नाला तथा सम्पवैल निर्माण की सहमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2009 के द्वारा अनुरोध किया था लेकिन उक्त मामला विचाराधीन होने के कारण अब न्यायालय इलाहाबाद से स्थानान्तरित होकर अपील संख्या 33 सन 2016 टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट अलीगढ़ बनाम नगर निगम अलीगढ़ में अति०जिला जज कोर्ट संख्या 1 अलीगढ़ द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अपील स्वीकार हुई जिसके सापेक्ष पुनः पूर्व समझौते के अनुसार नाला एवं सम्पवैल निर्माण से ट्रस्ट की भूमि पर जलभराव की समस्या का निराकरण होने के साथ ही साथ क्षेत्रीय जल निकासी की व्यवस्था सुचारू हो जायेगी। नाला एवं सम्पवैल निर्माण पर होने वाला व्यय स्वयं ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा जिसे निर्माण के पश्चात नगर निगम अलीगढ़ को सौंपने का अनिवार्य होगा।

Solemnly Affirmed Before  
By.....  
Identified By.....  
Who having been heard the contents  
Hereon Admitted the same to be  
Correct

R.P. Dixit (Advocate)  
NOTARY Tehsil Kotli, ALIGARH



Google Satellite image dated 18.11.2010



Google Satellite image dated 02.06.2014



Google Satellite image dated 11.03.2020



Google Satellite image dated 04.10.2023



Google Satellite image dated 19.04.2024

Google Satellite image of Lat- 27°52'18.28"N  
36 and Long- 78° 5'45.25"E

